पीएमएफएमई योजना

प्रलिम्सि के लयि: पीएमएफएमई, नेफेड, एफपीओ, एक ज़लिा एक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधति पहलें

मेन्स के लयि: कृषि विपिणन में सुधार हेतु पीएमएफएमई योजना का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटवि मार्केटगि फेडरेशन ऑफ इंडयिा लमिटिेड (NAFED) ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के औपचारिकरण के अंतर्गत तीन एक ज़लिा एक उत्पाद (ODOP) ब्रांड लॉन्च कयि हैं।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना के ब्रांडगि और वपिणन घटक के अंतर्गत चयनति 20 'एक ज़लिा एक उत्पाद' के 10 ब्रांड वकिसति करने हेतु नेफेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कयि हैं।

प्रमुख बदिु

पीएमएफएमई योजना के बारे में:

- **परचिय**
  - इसे आत्मनरि्भर अभयिान (वर्ष 2020) के तहत शुरू कयिा गया है, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठति क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तगित सूक्ष्म उद्यमों की प्रतस्पिर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा कसिान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समतियिों को सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के वपिणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लयि **एक ज़लिा एक उत्पाद (ODOP)** दृष्टकिोण अपनाती है।
- इसे पाँच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लयि लागू कयिा जाएगा।

वशिेषताएँ:

- **एक ज़लिा एक उत्पाद (ODOP) दृष्टकिोण:**
  - योजना के लयि ODOP मूल्य शृंखला वकिास और समर्थन बुनयिादी ढाँचे के संरेखण के लयि रुपरेखा प्रदान करेगा। एक ज़लि में ODOP उत्पादों के एक से अधकि समूह हो सकते हैं।
  - एक राज्य में एक से अधकि नकिटवर्ती ज़लिों को मलिाकर ODOP उत्पादों का एक समूह हो सकता है।
  - राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़लिों के लयि खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे।
  - ODOP में एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादति तथा खराब होने वाली उपज या अनाज या खाद्य पदार्थ हो सकता है जैसे- आम, आलू, अचार, बाजरा आधारति उत्पाद, मत्स्य पालन, मुरगी पालन आदि।
- **अन्य केंद्रति क्षेत्र:**
  - वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और आकांक्षी ज़लिे।
  - **क्षमता नरि्माण और अनुसंधान:** राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ MoFPI के तहत शैक्षणकि और अनुसंधान संस्थानों को सूक्ष्म इकाइयों हेतु प्रशकि्षण, उत्पाद वकिास, उपयुक्त पैकेजगि एवं मशीनरी के लयि सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **वत्तिीय सहायता:**
      - मौजूदा व्यक्तगित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जो अपग्रेड करने की इच्छुक हैं, वे पात्र परयिोजना लागत के 35% पर अधकितम 10 लाख रुपए प्रति यूनटि के साथ क्रेडटि-लकि्ड कैपटिल सब्सडिी का लाभ उठा सकती हैं।
      - सामान्य बुनयिादी ढाँचे, सामान्य प्रसंस्करण सुवधिा, प्रयोगशाला, गोदाम आदि के वकिास के लयि FPO/SHG/सहकारति या राज्य के स्वामतिव वाली एजेंसयिों या नजिी उद्यम के माध्यम से 35% क्रेडटि लकि्ड अनुदान द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
      - प्रारंभकि वत्तिपोषण के तहत कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लयि 40,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य प्रदान कयिा जाएगा।

- **वित्तपोषण:**
    - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।
    - इस योजना के तहत परिव्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र द्वारा शतप्रतिशत व्यय किया जाएगा।

योजना की आवश्यकता:

- लगभग 25 लाख इकाइयों वाले असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र** के रोजगार में 74 प्रतिशत योगदान है।
- इनमें से लगभग 66% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका का समर्थन करते हैं और शहरी क्षेत्रों में उनके प्रवास को कम करते हैं।
    - ये इकाईयाँ बड़े पैमाने पर सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आती हैं।
- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके प्रदर्शन और विकास को सीमित करता है। इन चुनौतियों में आधुनिक तकनीक व उपकरणों तक पहुँच की कमी, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण तक पहुँच, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण पर बुनियादी जागरूकता की कमी, ब्रांडिंग तथा विपणन कौशल की कमी आदि शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED):

- **परिचय:**
    - यह भारत में कृषि उपज के लिये **विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन** है।
    - इसकी स्थापना **2 अक्टूबर, 1958** को हुई थी और यह बहु-राज्य **सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के तहत पंजीकृत है।
    - नाफेड भारत में कृषि उत्पादों के लिये सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है।
- **उद्देश्य:**
    - कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण व भंडारण को व्यवस्थित करना , बढ़ावा देना तथा विकसित करना।
    - कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य आदानों को वितरित करना एवं अंतर-राज्यीय आयात एवं निर्यात, व्यापार, थोक या खुदरा व्यापार, जैसे मुद्दों की देखभाल करना।
    - भारत में इसके सदस्यों, भागीदारों, सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति समितियों के प्रचार व कामकाज के लिये कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह हेतु कार्य करना और सहायता करना।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pmfme-scheme-1